न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 57/2021
GCMS NO. : 2021/209

–: प्रार्थीगण :– बनाम –: अप्रार्थीगण :–

प्रार्थीगण:

1. रामस्वरूप चौधरी पुत्र पांचाराम जाति– जाट, निवासी– खराड़ी, तहसील– जैतारण जिला– पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण:

1. इन्द्रा देवी पत्नी पांचाराम
2. चन्द्रादेवी पुत्री पांचाराम
3. सुपली पुत्री पांचाराम
4. समुड़ी पत्नी पूनाराम
5. सादाराम पुत्र पूनाराम
6. सीता पुत्री पूनाराम
7. बुधीया पुत्र परबुजी
8. सूरमा पत्नी शोभाराम
9. ललितकिशोर पुत्र शोभाराम
10. सुमित पुत्र शोभाराम
    गैरसायलान संख्या 9 व 10 नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता सुरमा पत्नी शोभाराम
    जातियान– जाट, निवासीगण– खराड़ी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।
11. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

राजस्वप्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी

तारीख रजू:–12.04.2021

उपस्थितः–

1. श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 28/07/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायल की कब्जे काश्त की खातेदारी की कृषि भूमि सरहद मौजा खराड़ी पटवार हल्का डिगरना तहसील– [illegible] जिला पाली राज0 में वाके आराजी खसरा नम्बर 258 रकबा [illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 676 रकबा 0.7284 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 818 रकबा [illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 693 रकबा 2.6952 हैक्टेयर की कृषि भूमि आई हुई है। जिसमें सायल राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त चला आ रहा है एवं मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है सम्पूर्ण सम्पति सामलाती है। राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज है। नकल जमाबन्दी प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। उपरोक्त आराजी राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज है। जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कानूनी बंटवाड़ा नहीं हो रखा है मौके पर वर्णित आराजी पक्षकारान् अपनी सहमति से अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा आपसी सहमति से उक्त आराजी का मौके पर बंटवाड़ा कर रखा है परन्तु कानूनी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा नहीं हो रखा है जिससे मौके पर आये दिन विवाद होते है। उक्त कृषि भूमि सायल एवं गैरसायलान की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की अविभाजित कृषि भूमि होने से सायल अपने हक हिस्से व बंट की भूमि में आधुनिक तरीके से कृषि करने हेतू बैंक से ऋण नही ले सकते तथा अपनी कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नही करवा सकता एवं अनेको प्रकार की राज्य एवं भारत सरकार की योजनाओ की लाभ प्राप्त करने से वंचित होना पड़ रहा है एवं अनेको प्रकार की कठिनाईयो तथा समस्याओ का सामना करना पड़ता है। इसलिए सायल ने गैरसायल को उक्त संयुक्त सामलाती अविभाजित कृषि भूमि जो मोके पर अपने हक हिस्से की बंट अनुसार बंटी हुई है का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कानूनी बंटवाड़ा करवाने हेतू दिनांक 01.04.2021 को कहा तो गैरसायलान स्पष्ट रूप से इंकार हुए एवं गैरसायलान ने ऐलानिया कथन किया कि उक्त भूमि का बिना कानूनी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाये ही उक्त भूमि का किसी अन्य अजनबी क्रेता को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देते एवं सायल को उसके कब्जे काश्त से बेदखल कर देंगे यदि गैरसायलान अपने इन नापाक इरादो में कामयाब हो जाते है एवं सायल को उसके हक हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल कर देते है एवं बिना बंटवाड़ा करवाये ही उक्त भूमि का किसी अन्य को बैचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी एवं सायला अपने जायज हक हकूको एवं अधिकारो तथा खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि से वंचित हो जायेगे तथा अनेको प्रकार की मुकदमेंबाजी होगी जिससे विविध प्रकार की पेचीदगिया बढेगी। जिससे सायल खर्चे से जेरबार हो जायेंगे। इसलिए सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। उपरोक्त कृषि भूमि का सायल खातेदार काश्तकार होने से एवं सायल का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से सायल अपने हक हिस्से व बंट की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है। तथा मौके पर सायल का अपने हक हिस्से व बंट की भूमि पर कब्जा काश्त होने से एवं दस्तावेजात् से प्रथम दृष्ट्या मामला व सुवि[illegible] संतुलन भी हर दृष्टिकोण से सायल के पक्ष मे है। यदि गैरसायलान अपने नापाक [illegible] में सफल हो जाते है तो सायल को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी एवं मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिर्डिग्स बढेगी। इसलिए गैरसायलान द्वारा किये जा रहे

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:10 IST
Reason: SelfAttested

गैरकानूनी कृत्यो को रोके जाने बाबत् यह प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष पेश है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 10 की ओर से वकालतनामा पेश किया किया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 तथा 07 से 10 ने जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि मौजा खराड़ी तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा संख्या 258, 676, 818, 693 की अवश्य आई हुई है। जिस पर माफिक राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार पक्षकारान काबिज होकर बरोकटोक शांतिपूर्वक तरीके से उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा उक्त पद में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित तथ्य सही व सत्य होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 का जवाब है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार पक्षकारान् मौके पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा सायल ने जवाब देहन्दागण को दिनांक 01.04.2021 या अन्य किसी दिनांक को प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी कृषि भूमि का कानूनन बंटवाड़ा करवाने का कभी नही कहा केवल मात्र प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की गरज से उक्त पद में तारीख अंकित की गई है। यदि राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से अनसुार एवं मौके पर काबिज काश्त अनुसार सायल विवादित आराजी का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवान चाहता है तो उसमें उत्तरदाता गैरसायलान को कोई आपत्ति ऐतराज नही है। माफिक राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार सायल के साथ साथ जवाब देहन्दागण का भी कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जाने हेतू जवाब देहन्दागण की पूर्ण सहमति व स्वीकारोक्ति है। सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वादपत्र के निस्तारण तक स्वीकार किया जाता है तो उसमें जवाबदेहन्दागण को कोई आपत्ति नही है। अप्रार्थीगण संख्या 04 से 06 ने जवाब प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित खसरा नम्बरान की कृषि भूमि सरहद मौजा खराड़ी पटवार हल्का डिगरना में आवश्यक रूप से आई हुई है जिसमें सायलान एवं गैरसायलान का शामलाति कब्जा एवं काश्त लगातार चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी का सायल एवं गैरसायल के पूर्वजो द्वारा उक्त कृषि भूमि का मौके पर बिना नाप चौप के बंटवाड़ा किया हुआ है। सायल एवं गैरसायलान लगातार उक्त बंटवाड़े के अनुसार ही काश्त करते आ रहे है। मौके पर बंटवाड़े को लेकर [illegible] दिन तक कभी भी किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा, फसाद साय[illegible] में कभी भी नही हुआ हैं सायल ने दावा करने की [illegible] फसाद हिस्से को लेकर के जो बताया गया है, जो कानूनन गलत है। मौके प[illegible] हिस्से को लेकर के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बोलचाल भी नही हुई है। सायल एवं गैरसायलान के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

पूर्वजो द्वारा जो मौके पर बंट्वाड़ा किया हुआ है, उस बंट्वाड़े को सायल एवं गैरसायलान भी स्वीकार करते है। सायल ने कभी भी दिनांक 01.04.2021 को भी नही कहा कि वादग्रस्त भूमि का बंट्वाड़ा करवो एवं गैरसायलान ने कभी भी सायल को वादग्रस्त भूमि को किसी अन्य को बैचान, हस्तान्तरण करने की धमकी कभी नही दी गई है। सायल ने प्रार्थना पत्र पेश की करने की गरज से झूठे तथ्य अपनी ओर से लिखे है जबकि मौके पर सायल एवं गैरसायलान अपने अपने हिस्सेनुसार शांतिपूर्वक कब्जा एवं काश्त लगातार चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी सायल एवं गैरसायलान का भी मौके पर हिस्सेनुसार कृषि भूमि सभी के पास बराबर है, किसी भी सहखातेदारान् के पास कृषि भूमि हिस्से से अधिक भी नही है। सायल ने उक्त प्रार्थना पत्र गैरसायलान की जमीन को हड़पने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है ताकि गैरसायलान सायल के भय से गेरसायलान, सायल को कृषि भूमि का रजिस्टर्ड बैचान कर सके। सायल ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद गैरसायलान को धमकाया कि उक्त कृषि भूमि मुझे रजिस्टर्ड बैचान कर देवे अन्यथा मैं गैरसायलान संख्या 4 से 6 की कृषि भूमि पर बंट्वाड़ा करवाकर कब्जा प्राप्त कर लुंगा। इस मंसबे से सायल ने सभी गैरसायलान को डराने–धमकाने की वजह से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काविल खारिज होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:–

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :– वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध बंट्वाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की अविभाजित सहखातेदारी आराजी है जिसका प्रार्थी हिस्से अनुसार कानूनन बंट्वाड़ा करवाना चाहता है लेकिन अप्रार्थीगण बिना बंट्वाड़ा करवाये ही उक्त भूमि को किसी अजनबी क्रेता को हस्तान्तरित करने पर आमादा है। जिससे प्रकरण में अनावश्यक पेचीदगिया उत्पन्न होगी अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में निहित है।

अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 व 07 से 10 तथा 04 से 06 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी के कथनो का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी उभयपक्ष की अविभाजित [illegible] भूमि है जिस पर सभी सहखातेदार हिस्सेनुसार मौके पर काबिज काश्त [illegible] यदि प्रार्थी बंट्वाड़ा करवाना चाहता है तो जवाब देहन्दागण को कोई आपत्ति नहीं है अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

पत्रावली एवं वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी उभयपक्ष की अविभाजित सहखातेदारी भूमि है तथा अप्रार्थीगण भी कानूनन बंटवाड़ा किए जाने से सहमत है अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है अतः यह बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :– चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित हुआ हैं, साथ ही वादग्रस्त आराजी उभयपक्ष की अविभाजित सहखातेदारी भूमि है जिसमें अपने हक हिस्से तक सुविधा का संतुलन प्रत्येक सहखातेदार के पक्ष में निहित होता है अतः केवल प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन निहित होना नही माना जा सकता है इसी प्रकार चुंकि उभयपक्ष अभिलिखित सहखातेदार है जो कि कानूनन बंटवाड़ा करवाया जाने से सहमत है अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने से उन्हे अपने खातेदारी अधिकारो के उपभोग से वंचित होना पड़ सकता है जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति संभव है। अतः उपर्युक्त दोनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होनें से प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रार्थनां–पत्र साबित करनें में पूर्णतया असफल रहा हैं, अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली–भाँति साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जैतारण, (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 28/07/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जैतारण, (जिला–पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:10 IST
Reason: SelfAttested